# जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

## कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट-प्लान) की 165 वीं बैठक दिनांक 05.07.2011 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. डा0 लोकनाथ सोनी, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एच.एस. संचेती, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री आर.के. पारीक, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे-

1. श्री गिरिश पाराशर, उपायुक्त जोन-2, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती अल्पा चौधरी, उपायुक्त जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री अनिल कुमार जैन, उपायुक्त जोन-6 एवं 11, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री ओंकारमल, उपायुक्त जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
6. श्रीमती साधना शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक, (सहकारिता), जविप्रा जयपुर।
7. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी-एल.पी.), जविप्रा जयपुर।
8. श्री नवल किशोर बैरवा, प्राधिकृत अधिकारी, जोन-2, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री मुरलीधर चेजारा, सहायक नगर नियोजक, जोन-7जविप्रा, जयपुर।
10. श्री राजेन्द्र भट्ट, उपरजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।
11. श्रीमति उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

---

**एजेण्डा विवरणः-**
**<u>एजेण्डा संख्याः-1</u>**
**165 / 05.07.2011**

विषयः-- बीपीसी (एल.पी.) की 164 वीं बैठक दिनांक **10.05.2011 को सम्पन्न हुई** बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं क्रियान्विति समीक्षा।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं क्रियान्विति समीक्षा की गई।

एजेण्डा संख्याः--2
165/05.07.2011(जोन–4)

विषयः–टैगोर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जादोन नगर बी के भूखण्ड संख्या 79–ए. को साईड सैटबैक 10' को कम किये जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.10(65)नविवि/3/04 दिनांक 19.02.2010 में किये गये उल्लेख अनुसार उपविभाजित भूखण्डों के सैटबैकस, उचाई, एफ.ए.आर. एवं आच्छादन मूल भूखण्ड के अनुसार ही किये जावेगें। चूंकि योजना अनुमोदन के समय भूखण्ड संख्या 79–ए के सैटबैक निर्धारित किये गये थे अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि साईड सैटबैक 10' फीट ही रखा जावे।

एजेण्डा आइटम सं:–3
165/05.07.2011(जोन–4)

विषयः–छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.समिति की योजना नन्द विहार के भूखण्ड संख्या 6, 14, 15, 19, व 20 का योजना मानचित्र में संशोधन कर नियमन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 15 व 19 को गैरअनुमोदित ही रखते हुये शेष भाग का मौकं की स्थिति अनुसार संशोधित किया जावे।

एजेण्डा आइटम सं:–4
165/05.07.2011(जोन–5)

विषयः–जलमहल को.ओ.हा. सोसायटी की योजना राधाकृष्ण नगर के भूखण्ड संख्या 31–ए. को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान किये गये हैं कि 'वह योजना में अन्य भूखण्डों की भांति आवेदिका के भूखण्ड को नियमित कर लीजडीड जारी करें।" जविप्रा द्वारा इसमें नो अपील करने का निर्णय लिया गया है। अतः विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना के संदर्भ में उपायुक्त जोन द्वारा पत्रावली पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा आइटम सं:--5
165/05.07.2011(जोन–6)

विषयः–म्यूचुअल हाउसिंग को–आपरेटिव सोसायटी लि. की योजना शान्ति नगर के भूखण्ड संख्या 84 क्षेत्रफल 14'+20'X 70'–0"=132.33 वर्गगज की स्वीकृति बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। शान्ति नगर योजना में भूखण्ड संख्या 84 के उत्तरी ओर 30' चौडी सडक स्वीकृत की गई है। जबकि इस भूखण्ड संख्या 84 के उत्तरी ओर जनिप्रा द्वारा शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना महेशपुरी कोलोनी स्वीकृत की गई है जिसमें सडक दर्शित नही है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि जोन द्वारा दोनों योजनाओं का परस्पर मिलान करते हुये पूर्ण परीक्षण एवं सडक के सबंध में विस्तृत रिपोर्ट सहित प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

<u>एजेण्डा आइटम सं:–6</u>
165/05.07.2011(जोन–9)

विषयः–हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बाल विहार के भूखण्ड संख्या 14 के नियमन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जोन द्वारा की गई मौका रिपोर्ट अनुसार योजना बाल विहार के भूखण्ड संख्या 14 के उपर से एचटीलाईन हटा दी गई है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 14 का नियमन किया जावे।

<u>एजेण्डा आइटम सं:–7</u>
165/05.07.2011(जोन–9)

विषयः–खसरा नम्बर 358, 186, 307, 359, 186, 310 का जारी एकल पट्टा 1498.03 वर्गमीटर भूमि में से 94.20 वर्गमीटर भूमि को शामिल करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। पूर्व में जयपुर–दिल्ली रेल्वे लाईन एक लाईन ही थी इसलिये इस रेल्वे लाईन के मध्य बिन्दु से 50'–0" की दूरी के पश्चात् सेक्टर प्लान के अनुसार 100'–0" सडक रखते हुये पृथ्वी एपार्टमेंट को एकल पट्टा जारी किया गया था।

किन्तु अब जयपुर–दिल्ली रेल्वे लाईन में दो पटरियां डाल दी गई है। इसलिये अब दोनों रेल्वे लाईनों के मध्य को केन्द्र बिन्दु मानते हुये इस बिन्दु से 50'–0" की दूरी रेल्वे सीमा एवं इसके पश्चात् 100'–0" सडक सेक्टर प्लान के अनुसार रखी जाकर 94.20 वर्ग मीटर भूमि को आवंटित न करने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा आइटम सं:–8</u>
165/05.07.2011(जोन–9)

विषयः–राजीव गाँधी नगर योजना में प्रस्तावित 200'–0" चौडी सडक में मिलाने हेतु सुझाव देकर सेक्टर रोड की स्थिति में परिवर्तन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। **राजीव गांधी नगर में प्रस्तावित 200'–0" चौडी** सडक व सेक्टर प्लान मे प्रस्तावित 200' **चौडी सडक में घुमाव देकर मिलाने** के सबंध में **प्रकरण** को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। **विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त** जोन ने **अवगत** कराया कि एक खातेदार द्वारा इस सडक की **स्थिति मैं परिवर्तन** न **किये जाने** के सबंध में **प्राधिकरण** में आवेदन प्रस्तुत किया है इसलिये इस सडक **की स्थिति परिवर्तन से प्रभावित** खातेदारों से प्राप्त पत्र का विधिक परीक्षण कर निर्णय लिये जाने **तक प्रकरण को स्थगित रखे** जाने का निर्णय लिया गया।

**बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।**

11/7/11

**सदस्य सचिव,**
**भवन मानचित्र समिति**
**(ले–आउट प्लान)**
**जविप्रा,जयपुर।**

क्रमांक :– जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी) / बीपीसी / 2011 / डी–504
दिनांक :– 11\07\11

**प्रतिलिपि :–**

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, संसदीय सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
7. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम) / (एलपीसी) / (भूमि), जयपुर।
8. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
12. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

11/7/11

**सदस्य सचिव,**
**भवन मानचित्र समिति**
**(ले–आउट प्लान)**